

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
कालूराम बनाम भैराम

तारीख हुकम

21/12/2018

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

17/12/2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 24/12/2025 को पेश हो |

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 21/12/2017 पारित कर प्रथमदृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्तनीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थीगण के पक्ष में साबित ना होना धारित करते हुये अपीलार्थीगण को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों का प्रथमदृष्टया समुचित विवेचन/विश्लेषण करते हुये विधिक प्रावधानों के अनुरूप अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे कोई त्रुटी प्रतीत नहीं होती है | इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ के अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहे है | अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21/12/2017 में कोई त्रुटी प्रतीत नहीं होने से उसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 24/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |